कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / बजट / बी–4 / 25577 / 2019–20 / दिनांक :– 26/02/2020

समस्त आहरण वितरण अधिकारी
माध्यमिक शिक्षा विभाग

विषय :– पे–मैनेजर पर उपलब्ध कार्मिकों के डाटा में संशोधन के सम्बन्ध में।
प्रसंग :– इस विभाग का पूर्व समसंख्यक आदेश दिनांक 13.01.2020

—o—

उपर्युक्त विषयान्तर्गत वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक 3686–4165 दिनांक 13.09.2019 एवं 8002 दिनांक 13.12.2019 द्वारा राजकीय भुगतानों में शुद्धता सुनिश्चित किए जाने के सम्बन्ध जारी विस्तृत दिशा–निर्देशों की पालना में इस कार्यालय के प्रासंगिक आदेश द्वारा आपके अधीनस्थ समस्त कार्मिकों के डाटा को पे–मैनेजर पर जॉच कर, यदि उनमें कोई संशोधन अपेक्षित है, तो स्वयं के स्तर पर डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त लॉगिन से अधिकृत कर इस विभाग को अन्तिम अधिकृति (Final Approval) हेतु अग्रेषित किए जाने के आदेश दिए गए थे।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके अधीनस्थ समस्त कार्मिकों के पे–मैनेजर पर उपलब्ध डाटा को (कार्मिक के लॉगिन से / डीडीओ लॉगिन से) जॉच कर शुद्धता सुनिश्चित करें एवं यदि उनमें कोई संशोधन अपेक्षित है तो पूर्ण जॉच के उपरान्त अपेक्षित संशोधन को स्वयं के स्तर पर डिजीटल हस्ताक्षरयुक्त लॉगिन से अधिकृत कर विभागाध्यक्ष को अंतिम अधिकृति हेतु फॉरवर्ड करावें एवं उक्त वांछित संशोधनों का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रारूप में तैयार कर डाक द्वारा निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

प्रारूप – 1 (सेवानिवृत्त कार्मिकों हेतु)

क्र.सं.	सेवानिवृत्त कार्मिक का नाम	एम्प्लॉयी आईडी	सेवानिवृत्ति दिनांक	अपेक्षित संशोधन का संक्षिप्त विवरण (यथा Change in Name, Change in Present Address etc.)

प्रारूप – 2 (सेवारत कार्मिकों हेतु)

क्र.सं.	कार्मिक का नाम	एम्प्लॉयी आईडी	अपेक्षित संशोधन का संक्षिप्त विवरण (यथा Change in Name, Change in Present Address etc.)

संशोधन से संबंधित आवश्यक दस्तावेज की पीडीएफ अथवा अन्य स्वीकृत फॉरमेट ऑनलाईन ही पे–मैनेजर पर अपलोड करवाने हैं। उपर्युक्त प्रपत्र के साथ किसी भी प्रकार का दस्तावेज निदेशालय को नहीं भिजवाना है केवल प्रपत्र ही पूर्णरूप से भरकर डाक से भिजवाने हैं।

(बी.डी.शर्मा)
वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

क्रमांक : शिविरा–माध्य / बजट / बी–4 / 25577 / 2019–20 / दिनांक :– 26/02/2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. उप निदेशक (प्रशासन), शिक्षा विभाग, कार्यालय हाजा
2. समस्त संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा (संभाग कार्यालय) शिक्षा विभाग।
3. सिस्टम एनालिस्ट (सं.नि.), कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर जारी करने हेतु।
4. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), माध्यमिक शिक्षा विभाग को भेजकर लेख है कि आपके क्षेत्राधीन समस्त आहरण वितरण अधिकारियों को तद्नुसार आपके स्तर पर सूचित किया जाना एवं कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करावें।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (विधि), माध्यमिक शिक्षा
6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान, बीकानेर / अजमेर
7. प्रधानाचार्य, राजकीय शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय, जोधपुर
8. प्रबन्धक, गुरूनानक संस्थान, आदर्श नगर, जयपुर
9. प्रधानाचार्य, राजकीय सार्दुल स्पोर्टस स्कूल, बीकानेर
10. प्रधानाचार्य / प्रधानाध्यापक, मूक बधिर अंध विद्यालय, अजमेर / जयपुर / बीकानेर / उदयपुर / जोधपुर
11. प्रधानाचार्य, प्रज्ञा चक्षु अंध विद्यालय, उदयपुर
12. उप निदेशक (समाज शिक्षा), बीकानेर
13. सम्पादक, "शिविरा" को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
14. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट एवं शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करवाने हेतु।

वित्तीय सलाहकार
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर